

अच्छा व्यवहार
करोड़ों दिलों
को खरीदने की
ताकत रखता है।
- अज्ञात



सुधार लाने की चेतावनी

संगठन की टेली-बैठक के बीच ही ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयेसस के नाम लिखा चार पन्ने का वह पत्र जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया है कि यह संगठन अगले एक महीने में चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने और स्वतंत्र रूप अपना देने के ठोस संकेत दे।

अमित वर्मा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा 30 दिन के अंदर संगठन के रवैये में उल्लेखनीय सुधार लाने की चेतावनी को अलग से कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन कोरोना वायरस से उपजी महामारी को लेकर ग्लोबल रिस्पॉन्स और संगठन की भूमिका की जांच का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। संगठन की टेली-बैठक के बीच ही ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयेसस के नाम लिखा चार पन्ने का वह पत्र जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया है कि यह संगठन अगले एक महीने में चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने और स्वतंत्र रूप अपना देने के ठोस संकेत दे, वरना वे न केवल संगठन की फंडिंग रोकने के अपने अस्थायी फैसले

को स्थायी रूप देंगे बल्कि उसकी सदस्यता भी छोड़ देंगे।

बहरहाल, इस विवाद में किसी नतीजे पर न पहुंचकर अगर हम इसकी बारीकियों पर गौर करें तो इस पूरे प्रकरण में तीन बड़े मुद्दे उभर कर आते हैं। पहला, क्या महामारी की समझ, इसके इलाज और रोकथाम से संबंधित कोई बड़ा सवाल इस जांच के नतीजों पर निर्भर करता है? यानी, क्या कोई जरूरी सूचना न मिल पाने से इसकी दवा खोजने या टीका बनाने का काम अटक रहा है? ऐसा हो तो बाकी बातें एक तरफ रखकर सभी आवश्यक सूचनाओं को सार्वजनिक करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि वायरस की उत्पत्ति, उसके मानव शरीर में आने और संक्रमण फैलने को लेकर सूचनाएं जिस तरह से

आई और उनके अनुरूप कार्रवाई का जो ढांचा तय किया गया, उसमें चीन सरकार और डब्ल्यूएचओ के स्तर पर क्या किसी तरह की लापरवाही बरती गई, या सूचना छिपाने का सचेत प्रयास किया गया? यह भी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या इसके पीछे कोई खास मंतव्य था? तीसरा अहम सवाल दुष्टतापूर्ण इरादे से जुड़ा है। यानी यह कि क्या किसी सरकारी प्रयोगशाला में एक रणनीति के तहत इस वायरस को बनाया और छोड़ा गया, जैसा कि षड्यंत्रशास्त्री बोल रहे हैं और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति इसे बार-बार अपने बयानों में दोहरा रहे हैं। वैज्ञानिकों की तरफ से इस वायरस के मानव निर्मित न होने की बात एकाधिक मंचों से कही जा चुकी है, फिर भी सवाल उठने बंद नहीं हुए तो स्वतंत्र, पारदर्शी और

विश्वसनीय जांच ही किसी स्पष्ट नतीजे तक पहुंचने का अकेला तरीका है।

वैश्विक महामारियां हर सदी में एक-दो बार आती रही हैं, लेकिन अब तक इन्हें ईश्वर या प्रकृति के कोप की तरह ही लिया जाता रहा है। मनुष्य की भूमिका इस मामले में एक नई चीज है, जिसे लेकर लोगों में इत्मीनान आना जरूरी है। यहां यह याद दिलाना भी समीचीन होगा कि जैव हथियारों के विकास और भंडारण पर नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि (बायोलॉजिकल ऐंड टॉक्सिन वेपंस कन्वेंशन) 1975 में ही हो चुकी है, पर अबतक यह कागजी संधि ही बनी हुई है। अच्छा हो कि इस झटके में ही इस संधि के जमीनी अमल और संभावित जैव हथियारों की सतत जांच का एक ग्लोबल ढांचा खड़ा कर लिया जाए।

आपकी ऊर्जा

अशोक बोहरा। अच्छी सेहत के लिए जितना जरूरी स्वच्छ और संतुलित खानपान है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, किस वातावरण में रहते हैं और साथ ही अपने आसपास के लोगों का कितना सम्मान करते हैं। यह बुद्धिमता से परिपूर्ण एक ऐसा लोकप्रचलित तथ्य और है जिसे आज के जमाने में मुला दिया गया है, या जिसकी महत्ता पर अब ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वर्तमान समय में हमारे समाज की जो स्थिति है, उसके मद्देनजर यह कहना गलत तो नहीं होगा कि हम अस्वस्थ जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान के प्रति आकर्षित होने लगे हैं, जहां हम घर के खाने की जगह फास्ट फूड और चीनी से भरे भोजन करते हैं, कम सोते हैं, न्यूनतम व्यायाम करते हैं, साथ ही ना तो हमारे पास किसी से बात करने का समय है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

हकमारी से हताशा

ऐसा संकट पहली बार आया है जब संगठित और असंगठित श्रमिकों और कामगार वर्गों के बीच भुखमरी और अपने संवैधानिक अधिकारों की हकमारी को लेकर निराशा है। वर्तमान परिस्थिति में चीन से स्थानांतरित हो रही कंपनियों को लुभाने का प्रयास सराहनीय है, लेकिन श्रमिकों के हितों के खिलाफ कानून बन जाने से पहले से ही शोषण झेल रहा मजदूर वर्ग दुर्बल और निरीह हो जाएगा। सरकार औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन या पुनर्जीवन देने के नाम पर लाखों करोड़ रुपये की सब्सिडी देती रही है। यह भी सच है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में नई कंपनियों की बड़ी भूमिका होगी। सरकार को उन्हें अन्य माध्यमों से राहत देकर निवेश के लिए आमंत्रित करना चाहिए। श्रम कानून को निस्तेज करने से न सिर्फ मजदूरों का शोषण बढ़ेगा बल्कि उन्हें कई और यातनाएं भी झेलनी पड़ेंगी। अभी अभी मई दिवस गुजरा है जिसे दुनिया भर में मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। यह संघर्ष अब से 134 वर्ष पूर्व अमेरिका के शिकागो शहर से शुरू हुआ था। आज दुनिया भर में 'काम के आठ घंटे' का कानून संवैधानिक तौर पर दर्ज है। 1 मई 1886 को अमेरिका के लाखों मजदूरों ने आठ घंटे कार्य दिवस की मांग के साथ हड़ताल पर जाने का फैसला किया था जिसमें 11,000 कारखानों के लगभग 3 लाख 80 हजार मजदूर शामिल हुए थे। उस दिन अंधाधुंध फायरिंग में कई मजदूर मारे गए और हजारों घायल हुए थे। घटना के दौरान मजदूरों के रक्त से लाल हुआ कपड़ा ही इनके झंडे का रंग बन गया। इस बार कोरोना संकट के कारण मजदूर दिवस के आयोजन नहीं हो पाए।

चूंकि इस नदी धारा के उत्तर के इलाकों का सुगौली संधि में निर्धारण नहीं किया गया था, इसलिए कालापानी के इस इलाके पर प्रशासनिक व राजस्व नियंत्रण भारतीय प्रशासन का ही चला आ रहा है।

ट्रेड यूनियनों का विरोध

के. सी. त्यागी।

चीन के वूहान शहर से फैले कोरोना संक्रमण का असर विश्वव्यापी और विकराल हो चुका है। इससे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं भी परास्त हो गई हैं। समूचे विश्व के निशाने पर चीन और उसका वूहान शहर है। अमेरिका और दुनिया के अन्य विकसित देशों ने चीन स्थित अपनी औद्योगिक इकाइयों को वहां से हटाने की घोषणा भी कर दी है। भारत, वियतनाम, ताइवान और थाइलैंड समेत कई देशों ने न केवल इस घोषणा का स्वागत किया बल्कि उन कंपनियों को आमंत्रित भी किया है। चीन में अभी विश्व की सभी नामी-गिरामी कंपनियां कार्यरत हैं। केंद्र सरकार की रुचि देखकर कई राज्य सरकारों ने इन कंपनियों के लिए 'रेड कार्पेट' बिछाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने यहां एकतरफा श्रमिक सुधार घोषित किए और जरूरी 38 श्रम कानूनों को समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया है।

कई राज्यों से वेतन में कटौती और भत्ते काटे जाने के समाचार मिले हैं, हालांकि केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने साफ किया है कि सरकार अभी ऐसा कोई अध्यादेश नहीं लाने जा रही है। राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए सुधार कार्यक्रम फिलहाल रुके हुए हैं। कोर्ट में दायर एक याचिका के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने



हाथ खींच लिए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय मजदूर संघ का खुला विरोध रहा है। किसी से छिपा नहीं है कि बीएमएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुवंशिक संगठन है। मजदूर संघ के अध्यक्ष साजी नारायणन ने स्पष्ट कहा है कि अगर सरकार श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर काम करने के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 करने का प्रयास करेगी तो यह कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा दुखद होगा। इसी क्रम में श्री नारायणन ने 12 अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ श्रम मंत्री से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। राज्य सरकारों को भी सचेत किया गया है कि वे इस संकट काल में मजदूरों के वेतन-भत्तों में कटौती न करें। समाजवादी विचार से प्रभावित

हिंदू मजदूर सभा ने भी 22 मई के श्रमिकों के आंदोलन को समर्थन दिया है। कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस से जुड़े संगठनों समेत 12 मजदूर संगठन खुलकर सरकारी रवैये के विरोध में आ चुके हैं। ऐसे में निकट भविष्य में इन परिवर्तनों के विरुद्ध बढ़ते आंदोलनों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बीच इन मजदूर संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन आईएलओ का भी दरवाजा खटखटा कर मामले को और पेचीदा बना दिया है। भारत आईएलओ का महत्वपूर्ण सदस्य है और जेनेवा में प्रतिवर्ष होने वाले इसके अधिवेशन की कार्यवाही और निर्णयों से बांधा हुआ है। इन संगठनों ने अपने मेमोरेंडम में भारत में असंगठित मजदूरों की स्थिति का ब्योरेवार चित्रण किया है कि किस प्रकार करोड़ों मजदूर पहले से ही बेरोजगार हो चुके हैं। साथ ही उन्हें आवासीय और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। सरकारों द्वारा आईएलओ के नियम 144 का भी सीधा उल्लंघन किया जा रहा है जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा सभी मुद्दों को हल करने पर सहमति बनी हुई है। चर्चा जोरों पर है कि मजदूरों की जो राशि ईएसआईसी में जमा है, उस फंड द्वारा ही उन्हें वेतन देने का प्रयास हो रहा है। इस राशि का प्रयोग कई दशकों से बीमारी और दुर्घटना के समय मजदूरों और उनके परिवारों की मदद के लिए होता आया है।

सूडोकु नवताल- 5362		* सुडोकु नवताल	
4	7	1	3
3	5	4	1
2		8	
4	3		
8		2	1
			8
			6
	2		3
	9	8	2
1	4	6	9

अपना ब्लॉग

संसद की मुहर की प्रतीक्षा

मोहन। श्रम मंत्रालय की संसदीय समिति ने भी राज्य सरकारों के इन 'अति उत्साही' कदमों पर चिंता व्यक्त की है। बीजू जनता दल के नेता भर्तृहरि मेहता इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। बीजेडी इधर कई अवसरों पर केंद्र सरकार के पक्ष में मतदान कर चुकी है। समिति ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि जब कमेटी की महत्वपूर्ण अनुशासक संसद की मुहर की प्रतीक्षा में हैं तब ऐसी जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे गंभीर मुद्दों को संसद में बहस के लिए लाया जाना जरूरी है। राज्य सरकार ऐसे विषयों को अध्यादेश द्वारा संचालित नहीं कर सकती। कमेटी के अनुसार मजदूरों को मैनेजमेंट की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। कहते हैं कि आईएलओ ने श्रमिक संगठनों के मांग पत्र का संज्ञान लिया है और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।

